संख्या–140 /21–उर्दू–1–2010(486/2008)

प्रेषक,

सत्यजीत ठाकुर,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी
विभूति खण्ड,गोमती नगर,
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 19 अप्रैल,2010

विषयः–वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन के भाग–2 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के विभिन्न श्रेणी के पदो के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अन्तर्गत वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति–2008 के द्वितीय प्रतिवेदन भाग–2 में की गयी संस्तुतियों को सम्यक, विचारोपरान्त शासन द्वारा कतिपय संशोधन के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–252/ दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 07 फरवरी, 2008 के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है।

2– उक्त शासकीय संकल्प दिनांक 07 फरवरी,2009 के द्वारा लिए गए निर्णय के कम में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के इस शासनादेश के संलग्नक के स्तम्भ–2 में उल्लिखित, विभिन्न पदो के सम्मुख स्तम्भ–4 में इंगित वर्तमान वेतनमानों को दिनांक 01 जनवरी,2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्तम्भ–5 के अनुसार सादृष्य वेतन बैण्ड एंव ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी ,2006 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य किये जाने एंव पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वास्तविक लाभ का भुगतान इस शासनादेश के जारी होने के अगले माह से किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करने हैं।

3– उक्त कार्मिकों (राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी, जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, को छोड़कर) का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण दिनांक 01 जनवरी,2006 को राजकीय कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण की प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। परन्तु ऐसे कार्मिकों जिनके लिये 50 प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ते की धनराशि

को मंहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है के लिये दिनांक 01 जनवरी,2006 को अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि को बैण्ड वेतन माना जायेगा। उक्त निर्धारित बैण्ड वेतन एंव सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।

4— राज्य सरकार अथवा अन्य किसी अधिष्ठान के कर्मचारी जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अपने मूल विभाग/अधिष्ठान के पद के सन्दर्भ में लागू निर्णय के अनुसार अनुमन्य होगा।

5— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत होगी तथा वेतनवृद्धि की तिथि समान रूप से 01 जूलाई रखी जायेगी।

6— पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त कार्मिकों को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रसूति अवकाश/बाल्य देखभाल अवकाश राज्य कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में वर्णित दरों के अनुसार संस्था में पुनरीक्षित वेतन संरचना के वास्तविक लाभ के भुगतान की तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। संकल्प दिनांक 07 फरवरी,2009 के अनुसार सामूहिक बीमा योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

7— उक्त संस्था के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नति/उच्च वेतनमान दिनांक 01 जनवरी,2006 के पूर्व अनुमन्य हो चुका है उन्हें उक्त वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना को लाभ अनुमन्य होगा, परन्तु ऐसे पदधारक जिन्हें उक्त लाभ दिनांक 01 जनवरी,2006 को अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने की तिथि के बाद वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है, उन्हें उक्त लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि सेवा अवधि के आधार पर पूर्व के वेतनमान में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि पुनरीक्षित वेतन संरचना अपनाये जाने के बाद की तिथि से अनुमन्य हुयी हो तो उसके आधार पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में ऐसी वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

8– उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनामान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के कार्मिकों को यदि राजकीय कर्मचारियों से इतर कोई सुविधा अनुमन्य है तो उसका औचित्य बताते हुए उसे जारी रखने के सम्बन्ध में शासन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–7–1203/दस–2010 दिनांक 16 अप्रैल,2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्यजीत ठाकुर)
सचिव

संख्या–।५० (1)/21–उर्दू–1–2010(486/2008) तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–7, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
5– वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2 (दो प्रतियों में)
6– निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7– निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश सचिवालय।
8– श्री जमील अख्तर, सूचना सलाहकार (मा0 मुख्य मन्त्री जी) उ0प्र0 शासन।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या–/५०/21–उर्दू–1–2010 (486/2008) दिनॉक 19 अप्रैल,2010 का संलग्नक

क्रमसं0	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना			
			वेतनबैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतनबैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	1–सचिव	प्रतिनियुक्ति पर	अपने संवर्ग के अनुसार			वर्तमान में सविदा पर कार्यरत सचिव को शासन के निर्णय अनुसार वेतन अनुमन्य होगा।
	2–सम्पादक	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	
	3–पुस्तकालयाध्यक्ष	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	
	4–प्रकाशन अधिकारी	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	
	5–अधीक्षक	5000–150 –8000	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	
	6–लेखाकार	5000–150 –8000	वेतन बैण्ड–2–	9300–34800	4200	भविष्य में इस पद पर सीधी भर्ती की जाए जिसके लिए न्यूनतम अर्हता डी0 टी0ई0 उत्तीर्ण एम0 काम0 बी0काम0 में एकाउन्टेंसी के साथ रखे जाने पर ही संस्तुत वेतनमान अनुमन्य कराया जाए।
	7–शिक्षा सम्पर्कअधि0	4500–125 –7250	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2800	

क्रम सं0	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना			
			वेतनबैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतनबैण्ड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
8–आशुलिपिक		4500–125 –7000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2800	
9–प्रिन्टिंग सहायक		4500–125 –7000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2800	
10–कैटलाकर		4500–125 –7000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2800	
11– वरिष्ठ लिपिक		4000–100 –6000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2400	
12–वरिष्ठ लिपिक / कैशियर		4000–100 –6000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2400	
केयरटेकर कम स्टोरकीपर / सेल्स सहायक		4000–100 –6000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2400	
कमस्टोरकीपर		4000–100 –6000	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	2400	
13–कनिष्ठ लिपिक		3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
14–टंकक हिन्दी / अंग्रेजी		3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
15–टंकक (उर्दू)		3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
16–इशू क्लर्क		3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	

क्रम सं0	पद अथवा सेवा का नाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना			
			वेतनबैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतनबैण्ड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
17	कातिब	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
18	ड्राइवर	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1–	5200–20200	1900	
19	दफतरी	2610–60–3150–65–3540	–1 एस	4440–7440	1400	
20	जैनेटर	2610–60–3150–65–3540	–1 एस	4440–7440	1400	
21	चपरासी	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	
22	फर्राश	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	
23	चौकीदार	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	
24	स्वीपर	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300	

प्रमाणित किया जाता है कि इस संलग्नक में उल्लिखित पदों की संख्या पदों का स्वरूप और उनके वर्तमान वेतनमान सही पाए गए हैं तथा वर्तमान आदेशों से सत्यापित कर दिए गए हैं।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव

मान वेतनमानों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन

वर्तमान वेतनमान		संशोधित वेतन संरचना		
क्रम स	वर्तमान वेतनमान	वेतन बैण्ड / वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	3	4	5	6
1	2550–55–2660–60–3200	-IS	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	-IS	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	-IS	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–1	9300–34800	4200
10	5500–175–9000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
11	6500–200–10500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200
12	7450–225–11500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4600
13	7500–250–12000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4800
14	8000–275–13500	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	5400
15	8000–275–13500 (जहाँ इस वेतनमान में सीधी भर्ती भी हो)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
16	8550–275–14600	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400
17	10000–325–15200	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
18	10650–325–15850	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	6600
19	12000–375–16500	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	7600
20	14300–400–18300	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8700
21	16400–450–20000	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	8900
22	18400–500–22400	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	10000
23	22400–525–24500	वेतन बैण्ड–4	37400–67000	12000
24	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
अनुसचिव
भाषा विभाग
उ०प्र० शासन